न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 07/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

"केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय–502, टावर ए, पेनीनसूला बिजनेस पार्क, लोवर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र–400013 जरिये अधिकृत अधिकारी दीपक साहनी

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **दिनेश कुमार उर्फ दिनेश जांगिड पुत्र मंगलचन्द जांगिड़**

   प्रथम पताः– जांगिड ग्लास हाउस, वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 332301

   द्वितीय पताः– दिनेश कुमार पुत्र मंगलचन्द जांगिड सम्पति स्थित ग्राउण्ड फ्लोर, वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 332301

2. **सुशीला देवी पत्नी दिनेश कुमार**

   प्रथम पताः– वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीक (राज.) 332301

   द्वितीय पताः– सुशीला देवी पत्नी दिनेश कुमार सम्पति स्थित ग्राउण्ड फ्लोर, वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 332301

3. **नरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द जांगिड**

   प्रथम पताः– वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीक(राज.) 332301

   द्वितीय पताः– नरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द जांगिड सम्पति स्थित ग्राउण्ड फ्लोर, वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 332301

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

निर्णय

दिनांकः 29 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री कंचन सिंह चौधरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **दिनेश कुमार उर्फ दिनेश जांगिड पुत्र मंगलचन्द जांगिड, सुशीला देवी पत्नी दिनेश कुमार** एवं **नरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द जांगिड** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **नरेश** के स्वामित्व की अचल सम्पति **ग्राउण्ड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर, वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 99.5796 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में बनवारीलाल पुत्र भगवानाराम जांगिड का मकान, पश्चिम दिशा में सड़क 8 फीट चौडी, उत्तर दिशा में मकान मनोहरलाल एवं दक्षिण दिशा में मकान शंकरलाल पुत्र प्रहलादराम है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 20,81,924/– रूपये (अक्षरे रूपये बीस लाख इक्यासी हजार नौ सौ चौबीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.09.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.09.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **दिनेश कुमार उर्फ दिनेश जांगिड पुत्र मंगलचन्द जांगिड, सुशीला देवी पत्नी दिनेश कुमार** एवं **नरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द जांगिड** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **नरेश** के स्वामित्व की अचल सम्पति **ग्राउण्ड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर, वार्ड नं. 37, जांगिड स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 99.5796 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में बनवारीलाल पुत्र भगवानाराम जांगिड का मकान, पश्चिम दिशा में सड़क 8 फीट चौडी, उत्तर दिशा में मकान मनोहरलाल एवं दक्षिण दिशा में मकान शंकरलाल पुत्र प्रहलादराम है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **29 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर